

पुनश्च:

31.10.2022

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री मनोज नामदेव, अधिवक्ता ।

राज्य द्वारा श्री सूरज मिश्रा, अपर लोक अभियोजक ।

इसी स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से आवेदन पर बल नहीं देना व्यक्त किया गया ।

अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. बल नहीं देने पर खारिज किया जाता है ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही/—

(जयदीप विजय निमोणकर)

सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.)